

1. श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री शिवा पाण्डेय निवासी ग्राम पाण्डेय पट्टी पोस्ट फाजिलनगर जनपद कुशीनगर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की नसबन्दी तिथि 21.02.2013 एवं गर्भधारण की पुष्टि तिथि 21.09.2013 है। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी 33 week व 4 days की गर्भवती पायी गयी है। अतः नसबन्दी तिथि एवं अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के मिलान से स्पष्ट होता है कि नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती थी।

वर्ष 2015–16

2. श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री रामवेलास निवासी ग्राम लगड़ी पोस्ट मठिया बुजुर्ग जनपद कुशीनगर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की नसबन्दी तिथि 06.01.2015 एवं गर्भधारण की पुष्टि तिथि 18.05.2015 है। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी 21 week व 3 days की गर्भवती पायी गयी है। अतः नसबन्दी तिथि एवं अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के मिलान से स्पष्ट होता है कि नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती थी।
3. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री गोवर्धन निवासी ग्राम गाजीपुर भरपरिया पोस्ट तरया सजान जनपद कुशीनगर के दावा प्रपत्र में लाभार्थी की नसबन्दी तिथि 03.02.2015 एवं गर्भधारण की पुष्टि तिथि 27.07.2015 है। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी 32 week की गर्भवती पायी गयी है। अतः नसबन्दी तिथि एवं अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के मिलान से स्पष्ट होता है कि नसबन्दी के समय लाभार्थी गर्भवती थी।

शामली—

जनपद शामली से वर्ष 2014–15 में मृत्यु के कुल 01 दावा प्रपत्र गर्भधारण के प्राप्त हुये हैं जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

बांदा—

जनपद बांदा से वर्ष 2015–16 में गर्भधारण के 09, वर्ष 2016–17 में गर्भधारण के 03 एवं जटिलता के 01 कुल 13 दावा प्रपत्र गर्भधारण के प्राप्त हुये हैं जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 13 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 13 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।

देवरिया—

जनपद देवरिया से वर्ष 2016–17 में गर्भधारण के कुल 06 दावा प्रपत्र गर्भधारण के प्राप्त हुये हैं जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 06 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 05 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये। शेष 01 दावा प्रपत्रों में त्रुटियाँ पाई गयी हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

वर्ष 2016–17

1. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री प्रभु कुशवाहा निवासी ग्राम बाबधमखोर पोस्ट घाटी जनपद देवरिया के दावा प्रपत्र को दिनांक 05.08.2016 की बैठक में लाभार्थी द्वारा 90 दिन के कारण क्लेम किये जाने के कारण अस्वीकृत किया गया था, जिसे पुनः समिति के समक्ष पुनर्विचार प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा दावा प्रपत्र को अस्वीकृत करते हुये स्थायी कारण से अस्वीकृत दावा प्रपत्र को पुनः प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देवरिया को चेतावनी पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

आगरा—

जनपद आगरा से वर्ष 2016–17 में गर्भधारण के कुल 01 दावा प्रपत्र गर्भधारण के प्राप्त हुये हैं जिनको समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त 01 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 01 दावा प्रपत्र स्वीकृत किये गये।